

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलवी/19/2018

दिनांक: 19 2 19

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री आशीष खण्डेलवाल	कनिष्ठ लेखाकार	टोडारायसिंह(टोंक)	एपीओ निदेशालय
2	श्री मोहम्मद जलील शेख	फायरमैन	रावतभाटा (स्थानान्तरणधीन)	कैथून
3	श्री राजेश पुत्र शंकरलाल	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	अलवर
4	श्री अर्जुन पंडत	सफाई कर्मचारी	जालौर	सिराही
5	पुजा कुमारी	सफाई कर्मचारी	बाली	जोधपुर
6	संतोष	सफाई कर्मचारी	जैतारण	जोधपुर
7	श्रीमती कविता	सफाई कर्मचारी	फलोदी	जोधपुर
8	राजकुमार	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
9	प्रिती पत्नी राकेश	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
10	पूजा/भीमसपोला	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
10	ममता/सुनील पटोना	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
11	सत्यनारायण	जमादार	कोटा	एपीओ निदेशालय
12	शीतल	सफाई कर्मचारी	कोटा	एपीओ निदेशालय
13	चन्दाबाई/राजू	सफाई कर्मचारी	कोटा	झालरापाटन

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/19/2019-2025

दिनांक : 19.2.19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसापी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. संबंधित कर्मचारी श्री।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)